भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1771

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

कासरगोड जिले में वन अधिकार अधिनियम को लागू करना

†1771 श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कासरगोड जिले में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जनजातीय लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी), जिनके पास अपना मकान बनाने अथवा खेती करने के लिए कोई भूमि नहीं है, के लाभार्थ हेतु उपरोक्त जिले में इस अधिनियम को लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है, के वन अधिकारों को मान्यता देने और वन भूमि पर कब्जे को निहित करने का प्रयास करता है। एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन जिम्मेदार हैं।

केरल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 12 जिलों में वन अधिकार अधिनियम लागू किया जा रहा है। कासरगोड जिले में, राज्य सरकार ने जिला स्तरीय समिति (डीएलसी), 2 उप-जिला स्तरीय समितियां और जिले में 62 वन अधिकार समितियां (एफआरसी) गठित की हैं। हालांकि, कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है और कोई अधिकार निहित नहीं किए गए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एफआरए पट्टा धारकों के लाभ के लिए 14 मार्च को राज्यों को संयुक्त संसूचना जारी की है; जो कासरगोड सहित केरल के लिए भी लागू होगी। परामर्श का प्रासंगिक पैरा नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

"जिन व्यक्तियों और पीवीटीजी को अधिनियम की धारा 3(1)(क) और 3(1)(ड.) के तहत अधिकार दिए गए हैं, उन्हें संबंधित सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से निहित वन भूमि का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत जनजातीय परिवारों को कृषि योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के अलावा पक्के मकान, बिजली और पानी के प्रावधान के उपयों सहित जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

इस प्रकार राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों से अनुरोध है कि वे वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(क) के तहत वन अधिकार धारकों और धारा 3(1)(ड.) के तहत पीवीटीजी को सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करें।

इसके अलावा, एफआरए पट्टा धारकों के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने **'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए जेजीयूए)** की योजना शुरू की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन और विभिन्न सरकारी योजनाओं (आवास, पीएम किसान सम्मान निधि, पशुपालन विभाग की योजनाएं, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग से संबंधित) के लाभों के अभिसरण पर केंद्रित है।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों को **'संभावित वन क्षेत्रों का मानचित्रण और एफआरए एटलस तैयार करने'** की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए प्रविधियां भी दी हैं, जो वन अधिकारों के प्रभावी निहितिकरण के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन उपकरण (टूल) होगा, जिसके लिए वित्त पोषण दिया जाता है।

इसके साथ ही, डीए जेजीयूए के तहत; जिलों और ग्राम सभाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए, मंत्रालय केरल राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों को **समर्पित एफआरए प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित करने के लिए** निधियां भी उपलब्ध करा रहा है। एफआरए प्रकोष्ठ का उद्देश्य दावेदारों को दावा दायर करने में सहायता प्रदान करना और प्रगति की निगरानी, रिपोर्टिंग, कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अलावा आवश्यक आंकड़ों तक पहुंच को सुगम बनाना है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, डीए जेजीयूए के तहत सभी एफआरए कार्यान्वयन राज्यों (केरल सहित) में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि वन निवासी समुदायों/ग्राम सभाओं सहित सभी हितधारकों के बीच एफआरए के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

*****